प्रेस नोट
दिनांक 23.08.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना धानेपुर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़िता की फॉड गयी 80,001/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़िता के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़िता ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

कार्यवाही–
थाना धानेपुर की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़िता की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बन्धित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए 80,001/– पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी। पीड़िता द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना धानेपुर की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आवेदिका सुशीला देवी पत्नी राजित राम निवासिनी ग्राम लक्ष्मनडीह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर की साइबर हेल्प डेस्क में अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को आशा बहू का जानने वाला बताते हुए जच्चा–बच्चा योजना की धनराशि दिलाने का झांसा देकर 80,001 रू0 की साइबर फ्रॉड गयी उनकी धनराशि की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसपर थाना धानेपुर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़िता के 80,001/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–
01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

साइबर हेल्पडेस्क टीम–
01. उ0नि0 प्रवीण पुंज
02. कम्प्यूटर ऑपरेटर अतुल कुमार वरूण।
03. म0का0 नेहा सिंह।
04. का0 नारायण सिंह।

प्रेस नोट
दिनांक 23.08.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 33 केवी विद्युत लाइन का तार चोरी करने वाले 04 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 26.750 किग्रा विद्युत तार, 04 मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल बरामद–

कार्यवाही

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 804/2026 से सम्बन्धित बिजली के तार चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 26 किलो 750 ग्राम विद्युत तार, 04 मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी रामचरित्र, अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र धानेपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गई कि विद्युत उपकेन्द्र जेल रोड से विद्युत उपकेन्द्र धानेपुर को आने वाली 33 केवी विद्युत लाइन के ग्राम विशुनपुर बैरिया नहर के पास 04 पोलों के लगभग 400 मीटर क्षेत्र में लगे तीनों तार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काटकर चोरी कर लिए गए थे। चोरी किए गए विद्युत तार की अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रुपये बताई गई थी। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 देहात पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 23.08.2026 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों–01. शिवचरन वर्मा, 02. उत्तम कुमार, 03. विष्णु कुमार, 04. आद्या प्रताप सिंह उर्फ भोलू सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 अदद मोबाइल फोन, 26 किलो 750 ग्राम विद्युत तार एवं 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. शिवचरन वर्मा पुत्र राम प्रताप, निवासी खमरिया हरिबंस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
02. उत्तम कुमार पुत्र राम धीरज, निवासी बालापुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
03. विष्णु कुमार पुत्र मंसाराम मिश्रा, निवासी रतनपुर दुल्लापुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर।
04. आद्या प्रताप सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र तरुण प्रताप सिंह, निवासी बिशनपुर बैरिया, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 804/2026, धारा 305(म)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 26 किलो 750 ग्राम विद्युत तार
02. 04 अदद मोबाइल फोन
03. 01 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सावन कुमार सिंह
02. उ0नि0 सुशील पाण्डेय
03. उ0नि0 दुर्ग विजय सिंह
04. हे0का0 सोहन प्रसाद
05. का0 नरेन्द्र यादव
06. का0 जागेश्वर गौड़

07. का0 विशाल
08. का0 चन्द्रकान्त शुक्ला

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

नोट
दिनांक 23.08.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा नकली सोने के जेवरात बेचकर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, ₹20,600/– नगद बरामद व 01 अदद चार पहिया वाहन सीज–

कार्यवाही

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त राजेश सोनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धोखाधड़ी से प्राप्त ₹20,600/– नगद बरामद किये गये। अभियुक्त के कब्जे में मिली कार के आवश्यक कागजात प्रस्तुत न कर पाने पर वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट सीज किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी विजय कुमार निवासी ग्राम सीतापुरवा, मौजा पूरे नेवल पहड़वा, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 21.08.2026 को थाना धानेपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त राजेश सोनी द्वारा उसे सोने के जेवरात बताकर जेवर बेचे गये थे। वादी द्वारा उक्त जेवरात सोनार को दिखाये जाने पर उनके नकली/डुप्लीकेट होने की जानकारी हुई। वादी द्वारा गांव के अन्य लोगों को जानकारी देने पर फूलचन्द्र, राजेश, हरिशंकर व अन्य ग्रामीणों द्वारा भी अभियुक्त से खरीदे गये जेवरात की जांच करायी गयी, जो नकली पाये गये। आरोप है कि अभियुक्त द्वारा नकली जेवरात देकर लोगों से नगद धनराशि एवं पुराने असली जेवरात लिये गये तथा जेवर वापस मांगने पर गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 23.08.2026 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश सोनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20,600 नगद व 01 अदद कार बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ में अभियुक्त राजेश सोनी द्वारा बताया गया कि वह गांव–गांव फेरी लगाकर लोगों को असली सोने–चांदी के जेवरात बताकर नकली जेवरात देता था तथा बदले में नगद रुपये एवं पुराने असली सोने–चांदी के जेवरात ले लेता था। अभियुक्त के अनुसार पुराने असली जेवरातों को गलाकर बेचने से प्राप्त धनराशि में से ₹20,600/– उसके पास शेष बचे थे, जबकि शेष धनराशि मकान बनवाने एवं अन्य सुख–सुविधाओं में खर्च करना बताया। अभियुक्त द्वारा प्राप्त जेवरातों को गोण्डा शहर में एक व्यक्ति को बेचने की बात बतायी गयी, जिसका नाम–पता वह नहीं जानता है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजेश सोनी पुत्र स्व0 राधेश्याम सोनी, निवासी ग्राम रमवापुर श्याम, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा, हालपता राजागली धानेपुर, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 296/2026, धारा 318(4)/352/351(3)/317(2) बीएनएस, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 20,600/– नकद।
02. 01 अदद सफेद रंग की फ्रोनेक्स कार

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रवीण पुंज।
02. हे0का0 कुशहर यादव
03. का0 भगवान सरन
04. का0 जीतलाल

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 23.08.2026

परिवार परामर्श केन्द्र (महिला सहायता प्रकोष्ठ) द्वारा 02 प्रकरणों में कराया गया सुलह–समझौता–

जनपद गोण्डा में पारिवारिक विवादों के निस्तारण एवं परिवारों में आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से परिवार परामर्श केन्द्र (महिला सहायता प्रकोष्ठ) द्वारा निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 23.08.2026 (रविवार) को परिवार परामर्श केन्द्र जनपद गोण्डा में कुल 47 पत्रावलियों पर कार्यवाही की गई। परामर्श के दौरान 08 प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित हुए, जिनमें से 02 प्रकरणों में दोनों पक्षों को समझाकर आपसी सहमति एवं सुलह–समझौता कराया गया। परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा दोनों पक्षों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर पारिवारिक विवाद को आपसी बातचीत एवं समझाइश के माध्यम से समाप्त कराया गया तथा भविष्य में आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु परामर्श दिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण

सदस्यगण– डॉ० उमा सिंह, शशि कुमार भारती, संतोष ओझा, राजमंगल मौर्या एवं यशोदा नंदन त्रिपाठी।

अधिकारी/कर्मचारीगण– श्रीमती अनीता यादव (प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र), हे0का0 अजय कुमार एवं म0आ0 नितांशी शुक्ला।

मीडिया सेल, गोण्डा।